न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनियाँ आर.ए.एस.

अपील संख्या 2014/00337 (111/2014) 223 आरटीएक्ट

1. सहीराम पुत्र मोहना जाति मेघवाल (चमार) साकिन चक 34 एसटीजी तहसील पीलीबंगा।
2. मुंशीराम पुत्र मोहना जाति मेघवाल (चमार) साकन चक 34 एसटीजी तहसील पीलीबंगा। (फौत)

2/1 लीलादेवी पत्नी मुंशीराम
2/2 सतपाल पुत्र मुंशीराम
2/3 प्रेमकुमार पुत्र मुंशीराम
2/4 रामकुमार पुत्र मुंशीराम
2/5 सरोज पुत्री मुंशीराम
} जाति मेघवाल (चमार) साकिन चक 34 एसटीजी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

–अपीलाण्ट

बनाम

1. गुरप्रेमसिंह पुत्र भगवान सिंह जाति जटसिख निवासी 34 एसटीजी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ (फौत)

1/1 गुरमीत कौर पत्नी गुरप्रेमसिह
1/2 विरेन्द्रपाल सिंह पुत्र गुरप्रेमसिंह
1/3 लखविन्द्र सिंह पुत्र गुरप्रेमसिंह
1/4 कर्मजीत कौर पुत्री गुरप्रेमसिंह
1/5 सर्वजीत कौर पुत्री गुरप्रेम सिंह

2. नरेन्द्र सिंह पुत्र भगवान सिंह
} जाति जटसिख निवासी चक 34 एसटीजी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

3. ओरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

–तरतीबी/रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 24.04.2014 सहायक कलक्टर, पीलीबंगा प्रकरण संख्या 3/2012 बअनवानी सहीराम बनाम गुरप्रेमसिंह

श्री औमप्रकाश मोदी अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री वतनदीप सिंह मान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1/1 से 1/3

निर्णय [illegible] .2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.09 14:57:26 IST
Reason: SelfAttested

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अ[illegible] ने अ[illegible] न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 एवं 183 के अन्तर्गत [illegible] पेश किया। वाद पत्र में कथन किया कि वादीगण के पिता [illegible] नं. 2/339 मु0 नं0 [illegible] किला नं. 1 ता 25 कुल 25 बीघा भूमि पुख्ता अलॉटशुदा भूमि थी। वादीगण अनुसूचित

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

जाति के कमजोर व्यक्ति है एवं प्रतिवादी सं 1 व 2 स्वर्णजाती के पक्षकार हैं। प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने इस चक की किला नं. 6/1.00, 7/.10, 8/.10 7, 8, 9 ता 25 की कुल 19 बीघा भूमि पर 3 वर्ष पूर्व नाजायज कब्जा कर लिया है प्रतिवादीगण ट्रेसपासर हैं जिन्हें उपरोक्त भूमि पर काबिज रहने का कोई अधिकार नहीं है। वादीगण ने इस आशय की घोषणा चाही की विवादित भूमि में से 19 बीघा भूमि का राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के नाम से किया गया अंकन गलत व विधि विरूद्ध एवं बिना अधिकार के शून्य है। प्रतिवादीगण का विवादित भूमि में कोई हक हिस्सा नही है। वादीगण को 25 बीघा भूमि में बहिस्सा बराबर के खातेदारी अधिकार की घोषणा की जाने एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के विरूद्ध बेदखली की डिक्री पारित करने एवं उन्हें भूमि से बेदखल करने 3 वर्ष से तायोम बेदखली तक मीन प्रोफिट दिलाये जाने का अनुतोष मांगा।

2. प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र पेश किया और कथन कियाकि प्रश्नगत भूमि उसकी वादीगण के पिता मोहना पुत्र ताजू जाति भाट से खरीदशुदा है। वादीगण की जाती चमार नहीं है बल्कि वादीगण की जाती भाट है जिसके संबंध में प्रतिवादीगण ने दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं। मोहना द्वारा की गई वसीयत में उसकी जाति भाट अंकित है। वसीयत के आधार पर इनके पक्ष में हुए इंतकाल में इनकी जाति भाट अंकित है। इनके द्वारा अन्य स्थान पर खरीद की गई भूमि के दस्तावेज, ट्यूबवैल के कनैक्शन के दस्तावेज, एवं वादीगण के पिता के मृत्युप्रमाण पत्र पर्चा खतौनी, व जामबन्दी सं0त 2044, 2050, 2058 में जाति भाट ही अंकित है। पुराहित श्रीगंगाराम समाज हरिद्वार के पण्डित रविन्द्र भारद्वाज की तस्दीक में भी इनकी जाति भाट है। वादीगण द्वारा बेयनामे निष्पादित करवाये गये हैं जो पूर्णतः प्रभाव में हैं। प्रश्नगत बैयनामों को को निरस्त करवाये बिना वादीगण को वाद कारण हासिल नहीं है। प्रतिवादीगण 1 व 2 ने वाद खारिज करने का कथन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार करते हुए वाद वादी खारिज किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं एवं रेस्पोडेण्ट स्वर्ण जाति के व्यक्ति हैं। अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि का स्वर्ण जाति के व्यक्ति [illegible] से ही शून्य है। अपीलाण्ट ने रेस्पोडेण्ट के पक्ष में [illegible] बैयनामा फर्जी एवं शून्य है। दावा व जवाब दावा के आधार पर तनकीयात बनाई जानी आवश्यक थी। तनकीयात बनाकर एवं साक्ष्य लेकर दावा का निर्णय किया जाना कानूनन आवश्यक

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.09 14:57:26 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

था। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीयात नहीं बनाई। वादीगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नही दिया गया । मोहन की भूमि आवंटन पत्रावली में मोहना की जाति मेघवाल (चमार) दर्ज है। हमने जाति प्रमाणपत्र पेश किया है। मुंशीराम का मृत्युप्रमाण पत्र एवं वारिसनामा पेश किया जिसमें जाति मेघवाल अंकित है। दिनांक 01.05.1964 को टिनेन्सी एक्ट में हुए संशोधन से बेयनामा प्रारम्भ से ही शून्य है जिसे शून्य घोषित करवाने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्नगत भूमि प्रतिवादीगण के नाम से गलत अंकन है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध एवं कानूनी प्रावधानों के विपरीत हैं। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे। प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के लिए न्यायालय को केवल दावा में किये गये कथन को देखना होता है। प्रतिवादी द्वारा जवाबदावा में किये गये कथनों को नही देखना है। प्रतिवादीगण अपने समस्त एतराज जवाबदावा में दर्ज कर सकता है तथा तनकी कायम की जाकर साक्ष्य लेकर दावा का निर्णय किया जाना चाहिए था। जाति का प्रश्नगत विधि एवं तथ्य का मिश्रित प्रश्न है जो साक्ष्य लेकर तय किया जा सकता है। प्रार्थना–पत्र के आधार पर प्राथमिक स्टेज पर दावा खारिज करना गलत है। दावा Barred by Law नहीं कहा जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2009 (1) पेज 230, आरआरटी 2009 (2) पेज 882 एचसी, आरआरटी 2017 (2) पेज 864, एचसी, आरआरटी 2017 (2) पेज 1369, आरआरटी 2018 () पेज 1176, आरआरटी 2019 (1) पेज 264, आरआरटी 2019 (2) पेज 1216 एचसी, आरआरटी 2018–19 (सुप) पेज 28 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने अपनी बहस में कथन कियाकि प्रश्नगत भूमि उसकी वादीगण के पिता मोहना पुत्र ताजू जाति भाट से खरीदशुदा है। वादीगण की जाती चमार नहीं है। वादीगण की जाती भाट है जिसके संबंध में प्रतिवादीगण ने दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं। मोहना द्वारा की गई वसीयत में उसकी जाति भाट अंकित है। वसीयत के आधार पर इनके पक्ष में हुए इंतकाल में इनकी जाति भाट अंकित है। इनके द्वारा अन्य स्थान पर खरीद की गई भूमि के दस्तावेज, ट्यूबवैल के कनैक्शन के दस्तावेज, एवं वादीगण के पिता के मृत्युप्रमाण पत्र पर्चा खतौनी, व जामबन्दी सं0त 2044, 2050, 2058 में जाति भाट ही अंकित है। पुरा[illegible] [illegible]राम समाज हरिद्वार के पण्डित रविन्द्र भारद्वाज की तस्दीक [illegible] [illegible] जाति [illegible] [illegible] द्वारा बेयनामे निष्पादित करवाये गये हैं जो पूर्णतः [illegible] [illegible] निरस्त करवाये बिना वादीगण को वाद कारण हासिल नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.09 14:57:26 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

समर्थन में आरआरटी 2020 (2) पेज 1200, आबीजे 2013 पेज 603, आरआरटी 2009 पेज 750, आरआरटी 2006 (2) पेज 962 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट/वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के विरूद्ध धरा 88 एवं 183 आरटीएक्ट के अन्तर्गत वाद पेश किया गया था जो अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण के आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के में अंकित तथ्यों के आधार पर खारिज किया है। अधीनस्थ न्यायालय को केवल दावा में किये गये कथन को देखना होता है। वादीगण के दावा को पढने पर किसी भी पहराम ऐसा कोई कथन नहीं है जिससे दावा Barrerd by Law प्रकट होता हो। प्रकरण में वादीगण की जाती अनुसूचित होने अथवा नहीं होने का विवाद है। जाति का प्रश्न विधि एवं तथ्य का मिश्रित प्रश्न है जो साक्ष्य लेकर तय किया जाना चाहिए। आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत प्राथमिक स्टेट पर दावा खारिज किया जाना उचित नहीं है क्योंकि वादीगण का दावा केवल घोषणात्मक डिक्री एवं बेदखली का है।प्रतिवादीगण/रेस्पोडेण्ट को अपने एतराज जवाबदावा में दर्ज कर सकता है। जवाब दावा पेश होने पर तनकी कायम की जाकर साक्ष्य लेकर दावा का निर्णय किया जाना अपेक्षित है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर पीलीबंगा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.04.2014 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर एवं तनकियात कायम की जाकर साक्ष्य सबूत लेकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 05.04.21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Karrar Singh Poonia
Date: 2021.09.09 14:57:26 IST
Reason: SelfAttested

5/4/21

(करतार सिंह पूनियॉ आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़
हनुमानगढ

Scanned with CamScanner